2015 जिला परिषद मतदान पर संक्षिप्त जानकारी

मतदान की तारीख और घंटे

- 22 नवंबर 2015 (रविवार)
- सुबह 7:30 से रात 10:30 बजे तक

नामांकन समय

- 2 – 15 अक्टोबर 2015

नामांकन के लिए योग्यता

- एक मतदाता जो 21 साल की उम्र तक पहुँच चुका हो
- जो नामांकन के तुरंत बाद 3 साल पहले से हांगकांग मे सामान्य रुप से रह रहा हो
- जिला परिषद अध्यादेश (कैप 547) की धारा 20 में बयान किया गया अन्य मानदंडो को पूरा किया हो

नामांकन प्रक्रिया

- जिला कार्यालय तथा 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai पर पंजीकरण और चुनावी कार्यालय (REO) में नामांकन फार्म उपलब्ध हैं। फार्म को REO के वेबसाइट (www.reo.gov.hk) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

- एक नामांकन फार्म को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 10 पंजीकृत मतदाताओं द्वारा समर्थन होना चाहिए। हर मतदाता केवल एक नामांकन को समर्थन कर सकता है।

मतदान

- पंजीकृत मतदाता चुनाव में अपने वोट डाल सकते हैं।

- हर मतदाता को एक नामित मतदान केन्द्र के लिए आवंटित किया जाएगा।

- मतदान के लगभग 10 दिन पहले संबंधित मतदाताओं को एक पोल कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर नामित केन्द्र प्रकाशित होगा।

- एक मतदाता के लिए आवंटित मतदान केंन्द्र, चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ है या नही यह पोल कार्ड से जुडे नक्शे में निर्दिष्ट किया जाएगा। विकलांग मतदाता यह जानने के बाद कि नामित मतदान केंद्र उनके लिए सुलभ नही होगा, वे पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय को नामित विशेष मतदान केन्द्र पर मतदान करने के लिए फैक्स द्वारा (2891 1180) या टेलीफोन द्वारा (2891 1001) 17 नवंबर 2015 से पहले आवेदन कर सकते है।

- यदि मतदाता को मतदान पर जानकारी के अनुवाद में सहायता की जरूरत है तो, वे अल्पसंख्यक जातीयों के लिए केन्द्र (CHEER) पर निम्नलिखित हाटलाइन पर काल कर सकते हैं जो 9 नवंबर 2015 से लागू होगा।

भाषा	हाटलाइन नंबर
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
तागालोग	
थाई	
हिन्दी	3755 6822
नेपाली	
पंजाबी	3755 6833
उर्दू	

मतदान कैसे करें?

- मतदान केन्द्र पर अपना HKID कार्ड लाएँ और उपस्थित मतदान कर्मचारियों को दिखाएँ।
- आपको एक मतपत्र , "✓" (सही का निशान) लगा हुआ एक चॉप के साथ एक पेपर बोर्ड दिया जाएगा। आपको अपने मतपत्र चिन्हित करने के लिए प्रदान किया गया चॉप का **प्रयोग करना होगा।**
- मतदान कक्ष के अंदर, मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे दिए हुए घेरा में चॉप लगाएँ। **केवल एक** उम्मीदवार के लिए मतदान करें। यदि आप कोई गलती करते हैं, कृपया मतपत्र अध्यक्ष अधिकारी को वापस करें और एक नए मतपत्र के लिए पूछें।

- मतपत्र को मतपेटिका में डालने से पहले, "✓" (सही का निशान) को छिपाने के लिए एक बार मोड़े।

साफ चुनाव

भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वाधीन आयोग (ICAC) द्वारा लागू किया जाने वाला चुनाव (भ्रष्ट और अवैध प्रणाली) अध्यादेश (क्याप 554) के अनुसार, एक मतदाता को यह नही करना चाहिए:

- चुनाव में वोट ना डालने के लिए या एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट डालने के लिए या ना डालने के लिए किसी एक व्यक्ति से कोई लाभ (पैसा, उपहार, इत्यादि सहित), खाना, पेय या मनोरंजन मांगना या स्वीकार करना;

- किसी के मतदान निर्णय को प्रभाव करने के लिए दबाव या बाध्यता का प्रयोग या प्रयोग करने के लिए धमकाना;

- उनको/ उसको यह जानकारी होते हुए भी कि वे हकदार नही है मतदान पर वोट डालना; या जानबूझकर या बिना विचारे झूठी या भ्रामक जानकारी (झूठी आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देना।